न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—276 सन् 2005

दशरथ साव वगैरह ....वादीगण।

बनाम

मरई महतो वगैरह...............................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 13.09.2023

उभय पक्ष अनुपस्थित है। आज अभिलेख आवेदक की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.01.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के के प्रतिवादी सं0 02 (ख) रामजी महतो की मृत्यु दिनांक 23.10.2022 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 02 (ख) रामजी महतो का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 (ख) रामजी महतो का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 (ख) रामजी महतो थे जिनकी मृत्यु दिनांक 23.10.2022 को अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी गीता देवी वो दो पुत्र चिन्टू महतो, सोनू कुमार वो चार पुत्रियां रेखा कुमारी, सुलेखा कुमारी, श्रीमती रूबी कुमारी एवं श्रीमती बिटू कुमारी को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत एवं शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 18.01.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.....................को वादी साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।